फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

विपुल जोशी	बनाम	आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद बांसवाड़ा व अन्य .

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 2 /2025 .

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	उपरोक्त पृष्ठभूमि में पुन: समान विषयवस्तु व अनुतोष की अपील Res Judicata (निर्णयित मामले) के सिद्धान्त के चलते पोषणीय नहीं है। अर्थात एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से तय किए गए मामले को समान पक्षकारों के बीच, दोबारा उसी या अन्य किसी न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है। उक्त विवेचन के आधार पर अभिलेख पर उपलब्ध पूर्व निर्णयित मामले दिनांक 29/09/2020 के आलोक में Res Judicata के सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। निर्णय आज दिनांक 27/03/2026 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 27/03/26 संभागीय आयुक्त उदयपुर (राज.)		